प्रो0 वी0 पी0 खण्डूड़ी
समन्वयक प्रवेश परीक्षा

समन्वयक प्रवेश परीक्षा

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

तकनीकी सहायता न0:. 917080448554
Website: https://vcsguuhf.org, https://uuhf.ac.in E-mail: uuhf.exam@gmail.com

पत्रांकः यू0यू0एच0एफ0 / यू0ई0टी0 / 2024 / 88 / 0 दिनांकः 24.07.2024

–सूचना प्रथम काउंसलिंग–

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार द्वारा स्नातक, परास्नातक एवं पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2024 को सम्पन्न कराई गयी थी। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 24 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया था। तदोपरान्त स्नातक, परास्नातक एवं पीएच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु **प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग** का आयोजन निम्नलिखित विवरणानुसार किया जायेगा :–

स्नातक, परास्नतक एवं पी.एच.डी पाठ्यक्रम हेतु प्रथम काउंसलिंग प्रक्रिया		
क्रम संख्या	**काउंसलिंग प्रक्रिया**	**दिनांक**
1.	काउंसलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क जमा करना	31 जुलाई से 03 अगस्त (शाम 05:00 बजे तक)
2.	पाठ्यक्रमों का च्वाइस भरना	31 जुलाई से 04 अगस्त (शाम 05:00 बजे तक)
3.	च्वाइस लॉक करना एवं प्रिन्ट आउट प्राप्त करना	03 अगस्त से 04 अगस्त (शाम 05:00 बजे तक)

ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु आमंत्रित कम्बाईन्ड रैंक

पाठ्यक्रम	**कम्बाईन्ड रैंक**	**श्रेणी**
स्नातक (UG)	01-301	सभी श्रेणी All Category
परास्नातक (Master's)	01-156	सभी श्रेणी All Category
पीएच0डी0 (Ph. D.)	01-23	सभी श्रेणी All Category

प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी सीटों की उपलब्धता जैसा कि विवरणिका (Prospectus) 2024–25 में दिया गया है, के आधार पर अपनी रैंक के अनुसार काउन्सलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।

1. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि के अन्दर अपने मो0 नं0 के मैसेज बॉक्स को तथा ई–मेल का निरंतर अवलोकन करते रहें।
2. सर्वप्रथम अभ्यर्थी को बेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से लॉगिन करने के बाद काउंसलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 700 एवं Transaction Charge Extra ऑनलाइन जमा कर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपने विषयों का चयन / च्वाइस (Subject preference/priority) दे सकते हैं।
3. आनलाइन च्वाइस (Subject preference/priority) भरने के बाद च्वाइस (Subject preference/priority) लॉक करके प्रिन्ट आउट ले सकते हैं।
4. ऑनलाइन आवेदन के समय यदि अभ्यर्थी अपनी अन्तिम शिक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका किन्हीं कारणों से अपलोड़ नहीं कर पाये हैं (स्नातक में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण की अंकतालिका, परास्नातक में प्रवेश हेतु स्नातक उत्तीर्ण पी0डी0सी0 तथा पीएच0डी0 में प्रवेश हेतु परास्नातक की पी0डी0सी0) काउन्सलिंग के समय अपलोड़ करनी आवश्यक हैं।
5. काउंसलिंग आवंटन परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त अभ्यर्थी को निर्धारित प्रवेश शुल्क (स्नातक में प्रवेश हेतु रू0 31,277.00 + Transaction Charge, परास्नातक में प्रवेश हेतु रू0 35,941.00 + Transaction Charge तथा पीएच0डी0 में प्रवेश हेतु रू0 50,384.00 + Transaction Charge) ऑनलाइन जमा करना होगा।
6. यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर Paid Seats के सापेक्ष प्रवेश लेता है तो उसे रू0 31,277.00 + 60,000.00 = 91,277.00 + Transaction Charge ऑनलाइन जमा करना होगा।
7. प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी अपना प्रोविजनल एलोटमेन्ट लेटर (Provisional Allotment letter) डाउनलोड कर सकते हैं।

नोटः

1. काउन्सलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी सीटों की उपलब्धता जैसा कि विवरणिका (Prospectus) 2024–25 में दिया गया है, के आधार पर अपनी रैंक के अनुसार काउन्सलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
2. यदि अभ्यर्थी को प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित हो जाती है तो निर्धारित प्रवेश शुल्क आनलाइन माध्यम से जमा करने के पश्चात् अपने सभी मूल दस्तावेज (शैक्षिक एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों) प्रोविजनल एलोटमेन्ट लेटर (Provisional Allotment letter) के साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक उपस्थित होकर सत्यापित करवाने होंगे तथा समस्त दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियाँ महाविद्यालय के कार्यालय में जमा कराकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है :–

क्रमशः 2

I. Application Form
II. Admit Card
III. Allotment Letter
IV. Aadhar Card
V. Attested photocopy of High School Certificate and Marks-Sheet along with the originals.
VI. Attested photocopy of Intermediate Certificate and Marks-Sheet along with the originals.
VII. Attested photocopy of Marks-Sheet and Certificate of any other higher degree (Under Graduate/ Post Graduate) qualifications that they may possess along with the originals.
VIII. Transfer Certificate/Migration Certificate in original.
IX. Attested photocopy of Domicile Certificate of Uttarakhand State along with original, issued by the competent authority after 20th November, 2001.
X. Rural/Sports/Agriculturists Weightage Certificate in original as given in prospectus 2024-2025, if applicable.
XI. Character and conduct Certificate in original from the Head of the Institution last attended.
XII. Five-passport size photographs with name and Roll Number written on the back.
XIII. Attested photocopy as well as original copy of Category (SC/ST/OBC/EWS/DP/FF/PH etc.) For OBC category, the attested copy of OBC Certificate issued after 31.3.2024 must be submitted and original Certificate must be produced at the time of registration. For the format of the Certificate please refer to the prospectus 2024-25 (Certificate No. 1 under Appendix – VII). Please note that in this respect, the prevalent state government rules shall apply.
XIV. Solemn Voluntary declaration form duly filled (Appendix - IV).
XV. A Gap Certificate accounting for discontinuity of more than three months after leaving the last attended institution. (Those employed should bring certificate from employer, others should produce a sworn affidavit duly notarized on stamp paper of Rs.10/- + Duly Notarized stamp by the Notary Public).
XVI. As per the directives of the Hon'ble Supreme Court an affidavit duly signed by the candidate and his/her parents /guardian for non –participation in ragging on a non –judicial stamp paper of Rs. 10/- + duly notarized stamp by the Notary Public is to be submitted in original (Appendix – V &VI).
XVII. Medical fitness certificate in the prescribed format (Appendix-II).

3. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय अभ्यर्थी को विवरण पुस्तिका में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु दी गई न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिएं अन्यथा की स्थिति में आवंटन निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
4. यदि अभ्यर्थी को प्रथम काउंसलिंग में च्वाइस के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है परन्तु प्रवेश प्रक्रिया के स्तर पर दस्तावेज सत्यापन के समय आरक्षण से सम्बन्धित किसी भी प्रमाण पत्र में कोई भी अनियमितता अथवा शासनादेश के अनुरूप ना होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होंगे।
5. यदि प्रथम काउन्सलिंग के उपरान्त सीटें खाली रहती हैं तो उस स्थिति में द्वितीय काउन्सलिंग आयोजित की जायेगी।
6. Subject preference/priority भरते समय उन्ही विषयों का च्वाइस दें जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश चाहता है। यदि प्रथम काउन्सलिंग के बाद सीटें रिक्त रहती हैं और अभ्यर्थी को उसकी इच्छानुसार सीट आवंटित नहीं होती हैं एवं अभ्यर्थी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं और यदि मैरिट के अनुसार अपग्रेडेशन हेतु सीट रिक्त होती है तो अपग्रेडेशन का मौका उन अभ्यर्थियों को ही दिया जायेगा जो प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी पूर्व में आवंटित शीट पर प्रवेश ले चुके हों। उन्हें अपग्रेडेशन हेतु द्वितीय काउन्सलिंग में प्रतिभाग करने के लिए रू0 700.00 जमा कर अपनी च्वाइस दोबारा ऑनलाइन देनी होगी। द्वितीय काउंसलिंग में यदि अभ्यर्थी को उसकी च्वाइस के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो ऐसे में प्रथम काउंसलिंग में आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी। उसे द्वितीय कांउसलिंग में आवंटित विषय में ही प्रवेश मिलेगा।

समन्वयक प्रवेश परीक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. सहायक कुलसचिव, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी / औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार।
2. कुलसचिव, वी.च.सिं.ग.उ.औ.वा.वि.वि., भरसार, पौड़ी गढ़वाल।
3. अधिष्ठातागण, औद्यानिकी महाविद्यालय / वानिकी महाविद्यालय / कृषि महाविद्यालय।
4. कुलपति जी के वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।